



2026:AHC:67372

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस.एस. के तहत संख्या -

1830 वर्ष 2026

ओमर शेख आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: सौम्या चतुर्वेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 72

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव लोचन शुक्ल

1. श्री गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री सौम्या चतुर्वेदी, आवेदक के अधिवक्ता, राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा सहायता प्रदान की गई और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से केस अपराध संख्या-212 वर्ष 2024 में धारा 111, 329 बी.एन.एस., सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम 1984 की धारा 3/5, थाना-शाहगंज, जिला- जौनपुर के तहत दायर किया गया है, जिसमें उसे अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त मामले में उसकी गिरफ्तारी की आशंका है।
3. वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि विवादित भूखंड संख्या-922 और 928, जिसे ग्राम पंचायत/राज्य भूमि की संपत्ति कहा जाता है, वास्तव में, आवेदक के पिता द्वारा खरीदी गई थी, जब आवेदक की आयु केवल 16 वर्ष थी। आवेदक को उक्त संपत्ति विरासत में मिली है, इसलिए आवेदक पर कोई आपराधिक कार्य नहीं लगाया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 (इसके बाद "संहिता, 2006" के रूप में संदर्भित) के तहत आवेदक के खिलाफ कार्यवाही की गई थी,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जिसमें जुर्माना लगाया गया था और इस न्यायालय ने एक रिट याचिका में रिट - सी संख्या- 21464 वर्ष 2024 (इशरत जहां और 2 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य) ने दिनांक 13.11.2024 के अपने आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ताओं से की जाने वाली वसूली पर रोक लगा दी थी। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है क्योंकि केवल एक चारदीवारी का निर्माण किया गया है, जो एक अस्थायी निर्माण है। वह आगे प्रस्तुत करता है कि उक्त चारदीवारी का निर्माण भी आवेदक द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि आवेदक के दिवंगत पिता द्वारा बनाया गया था। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

4. दूसरी ओर, अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है। हालांकि, वह इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत कार्यवाही में लगाए गए जुर्माने की वसूली पर इस न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है। एजीए, इस तथ्य पर भी विवाद नहीं कर सका कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

5. मैंने पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेखों पर लाई गई सामग्री का अवलोकन किया है।

6. प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि विचाराधीन संपत्ति के लिए, आवेदक के खिलाफ संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत कार्यवाही की गई थी। उक्त कार्यवाही में, आवेदक के खिलाफ जुर्माना लगाया गया था और उसी की वसूली पर इस न्यायालय द्वारा रिट - सी संख्या- 21464 वर्ष 2024 (इशरत जहां और 2 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य) ने दिनांक 13.11.2024 के अपने आदेश के माध्यम से निर्णय लिया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप आवेदक का है कि उसने राज्य की भूमि के चारों ओर एक चारदीवारी का निर्माण किया है और एक गेट भी तय किया है। उक्त भूखंड को बिक्री के लिए उपलब्ध होने के रूप में विज्ञापित किया जा रहा है। न्यायालय की प्रथम दृष्टया राय में, आवेदक के खिलाफ संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी, वह भी प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण से पहले, एक पूरी प्रक्रिया जहां भूमि का अतिक्रमण है, प्रदान की गई है। आवेदक पर जुर्माना लगाने का आदेश दिनांक



29.6.2024 का है और प्राथमिकी दिनांक 1.7.2024 को दर्ज किया गया है। इस न्यायालय द्वारा जुर्माने की वसूली पर रोक लगा दी गई है। कहा जाता है कि विचाराधीन संपत्ति आवेदक के दिवंगत पिता द्वारा खरीदी गई थी जब वह केवल 16 वर्ष का था।

7. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, साथ ही इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि आवेदक को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23.02.2026 के अपने आदेश के तहत अंतरिम अग्रिम जमानत दी गई थी और उसे दी गई अग्रिम जमानत के नियमों और शर्तों का उल्लंघन नहीं कहा गया था, में आवेदक को दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत की पुष्टि करना उचित समझता हूं।

8. आवेदन की अनुमति है।

9. आवेदक- ओमर शेख की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपरोक्त मामले के अपराध में दिनांक 23.02.2026 के आदेश में उल्लिखित नियमों और शर्तों पर अग्रिम जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जाएगा।

मार्च 31, 2026

सचिन

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)